The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 5 | December 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

डॉ. भीमराव आंबेडकर की शिक्षा दृष्टि और सामाजिक समावेशन: समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

नीलम सिंह

सहायक प्राध्यापक, (अतिथि संकाय), डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 19/12/2025
स्वीकृति तिथि: 26/12/2025
प्रकाशनतिथि: 31/12/2025

मुख्य शब्द : सामाजिक समावेशन, सामाजिक न्याय, समानता, शैक्षिक सशक्तिकरण, संवैधानिक मूल्य, समावेशी शिक्षा

।

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक समावेशन संबंधी चिंतन का शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। अध्ययन गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों के साथ UDISE+ 2021–22 के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक असमानता और भेदभाव को दूर करने तथा आत्मसम्मान एवं सशक्तिकरण विकसित करने का एक प्रभावी साधन माना। वर्तमान स्थिति में शिक्षा क्षेत्र में विकास होने के बाद भी उच्चतर स्तरों पर विद्यार्थियों की निरंतरता, सामाजिक एवं लैंगिक समानता तथा विद्यालयी सुविधाओं की उपलब्धता आदि चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अतः आंबेडकर का शिक्षा-दर्शन आज भी समान अवसर, सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रस्तावना

सामाजिक समावेशन वर्तमान समाज एवं शिक्षा-विमर्श की एक केंद्रीय अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, गरिमा, सहभागिता तथा संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना है। यह अवधारणा केवल सामाजिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय तथा सतत विकास से भी गहराई से जुड़ी हुई है (यूनाइटेड नेशंस, 2015; यूनेस्को, 2020)। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सभी नागरिकों, विशेषकर वंचित एवं हाशिए पर स्थित समुदायों को किस सीमा तक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में समान भागीदारी प्रदान करता है।

भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है, किन्तु जाति-आधारित स्तरीकरण, अस्पृश्यता तथा सामाजिक बहिष्करण जैसी संरचनाओं ने लंबे समय तक समाज के एक बड़े वर्ग को विकास की मुख्यधारा से दूर रखा। इस सामाजिक विषमता ने शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक समान पहुँच से दूर रखा। परिणामस्वरूप सामाजिक समावेशन केवल एक सामाजिक आदर्श नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता बन गया। इसी संदर्भ में डॉ. भीमराव आंबेडकर का चिंतन भारतीय समाज को समझने तथा सामाजिक न्याय के वैकल्पिक प्रतिमान विकसित करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है (Jaffrelot, 2005; Omvedt, 2004)।

डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक समावेशन को केवल संवैधानिक अधिकारों अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे शिक्षा, सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान तथा समान अवसरों पर आधारित व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके जाति-विरोधी चिंतन में सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा केंद्रीय प्रश्न रहे हैं तथा उन्होंने जाति-व्यवस्था को सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में एक गंभीर बाधा के रूप में प्रस्तुत किया (आंबेडकर, 1936)।

आंबेडकर के विचार में शिक्षा वह माध्यम है जो व्यक्ति को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है, तर्क शक्ति का विकास करती है, सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने की क्षमता प्रदान करती है तथा वंचित

समुदायों को सशक्त बनाने का आधार तैयार करती है। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा। आंबेडकर के शिक्षा संबंधी चिंतन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को सामाजिक परिवर्तन के व्यापक प्रश्न से जोड़ा गया है। शिक्षा उनके लिए केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं थी, बल्कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को चेतना, सहभागिता और अधिकार-बोध प्रदान करने का माध्यम थी। वेलस्कर (2012) के अनुसार, आंबेडकर के सामाजिक एवं शैक्षिक चिंतन में शिक्षा को दमनकारी जाति-पितृसत्तात्मक संरचनाओं से मुक्ति और नए सामाजिक संबंधों के निर्माण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया तथा महिलाओं की भागीदारी को भी इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा माना गया।

इसी दृष्टि से उनका प्रसिद्ध आह्वान **"शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो"** केवल प्रेरक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन का एक व्यावहारिक वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है, जिसमें शिक्षा चेतना उत्पन्न करती है, संगठन सामूहिक शक्ति प्रदान करता है और संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। आंबेडकर के विचारों में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के इस संबंध को उनके मूल लेखन तथा बाद के विद्वानों के अध्ययनों में भी रेखांकित किया गया है (Ambedkar, 1982–2005; Zelliot, 1992; Velaskar, 2012)।

समकालीन शिक्षा-विमर्श में भी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि समावेशी शिक्षा सामाजिक समावेशन की आधारशिला है। जब शिक्षा व्यवस्था समान अवसर, न्यायपूर्ण सहभागिता तथा विविध सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होती है, तभी वह लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकती है (UNESCO, 2020)। इस दृष्टि से डॉ. आंबेडकर का शिक्षा-दर्शन आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक नीति तथा समतामूलक विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रदान करता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक समावेशन संबंधी चिंतन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें उनके विचारों का विवेचन केवल ऐतिहासिक या जीवनपरक दृष्टि से नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों तथा समकालीन भारतीय समाज के संदर्भ में किया गया

है। साथ ही यह समझने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में शिक्षा किस प्रकार परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करतीहै।

साहित्य समीक्षा

जेलियट (1992) ने आंबेडकर के सामाजिक आंदोलन को सामाजिक समानता, आत्मसम्मान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा है और शिक्षा को सामाजिक चेतना एवं सामाजिक बदलाव पका महत्त्वपूर्ण माध्यम माना है। Jaffrelot (2005) ने आंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का विश्लेषण करते हुए समान अधिकार, सामाजिक न्याय तथा वंचित वर्गों के विकास के लिए एक प्रतिनधि के रूप में स्वीकार किया है। Omvedt (2004) ने आंबेडकर के विचारों को सामाजिक परिवर्तन, समानता तथा वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के संदर्भ में प्रस्तुत किया है।

शोध के उद्देश्य

**1. ** डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक समावेशन संबंधी चिंतन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

**2. ** सामाजिक समावेशन के संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना

3. UDISE+ 2021–22 के आधार पर वर्तमान विद्यालयी शिक्षा में पहुँच, निरंतरता तथा समावेशी सुविधाओं की स्थिति का विश्लेषण करना।

शोधविधि

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत डॉ. भीमराव आंबेडकर के मूल लेखन, भाषणों तथा उनसे संबंधित शोध-पुस्तकों एवं शोध-पत्र आदि प्रामाणिक दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का सामाजिक समावेशन संबंधी चिंतन

डॉ. भीमराव आंबेडकर का सामाजिकचिंतन भारतीय समाज में व्याप्त संरचनात्मक असमानताओं के गहन अध्ययन तथा उनके व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने सामाजिक समावेशन को केवल वंचित वर्गों के कल्याण तक सीमित नहीं माना, बल्कि ऐसे समाजकी स्थापना के निर्माण पर जोर दिया जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान, अवसर तथा सहभागिता की प्राप्ति हो। उनके अनुसार सामाजिक समावेशन के अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस दृष्टि से उनका चिंतन सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित समतामूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का पक्षधर है (Ambedkar, 1936; Jaffrelot, 2005)।

डॉ. आंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्करण का प्रमुख कारण जन्म-आधारित जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता, क्षमता एवं व्यक्तित्व के बजाय उसके जन्म को सामाजिक स्थिति का आधार बनाती है, जिससे समान अवसरों की अवधारणा बाधित होती है। उन्होंने पुस्तक ***एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट*** में जाति-व्यवस्था को सामाजिक समानता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में एक बाधा माना (Ambedkar, 1936)। अतः सामाजिक समावेशन की स्थापना के लिए जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का उन्मूलन आवश्यक है।

आंबेडकर के विचारों में शिक्षा सामाजिक समावेशन का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति में तर्क, आत्मसम्मान, अधिकार के प्रति जागरूकता का विकास करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है तथा सामाजिक अन्याय एवं भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन तथा वंचित समुदायों के सशक्तिकरण का आधार माना (Zelliot, 1992; Omvedt, 2004)।

शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण

डॉ. भीमराव आंबेडकर के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि **सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान और अधिकार-बोध के विकास का माध्यम** थी। उनका मानना था कि शिक्षा वंचित समुदायों को अपनी सामाजिक स्थिति को समझने और उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता प्रदान करती है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण तथा वंचित वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसरों पर बल दिया।आंबेडकर की दृष्टि में केवल विद्यालय में प्रवेश पर्याप्त नहीं था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को **समान अवसर, सामाजिक सहभागिता और निर्णय लेने की क्षमता** प्रदान करे। इस संदर्भ में छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहायता और अन्य संस्थागत सहयोग को वास्तविक समानता स्थापित करने के साधन के रूप में देखा जा सकता है (गैलेंटर, 1984)।इस प्रकार आंबेडकर की शिक्षा-दृष्टि को वर्तमान संदर्भ में केवल नामांकन से नहीं, बल्कि **शिक्षा की निरंतरता, समान गुणवत्ता और सामाजिक सशक्तिकरण** के आधार पर समझना अधिक उपयुक्त है।

महिला शिक्षा और लैंगिक समानता

आंबेडकर के सामाजिक चिंतन में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार भी उनके सामाजिक सुधार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थे। महिला शिक्षा का प्रश्न सामाजिक समावेशन से इसलिए जुड़ता है क्योंकि शिक्षा महिलाओं को केवल रोजगार की संभावना ही नहीं देती, बल्कि निर्णय लेने, अधिकारों को समझने और सामाजिक संबंधों में अपनी स्थिति को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता भी देती है। आंबेडकर का महिलाओं के कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति समर्थन इसी व्यापक समानतावादी दृष्टिकोण से जुड़ा था। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उन्होंने महिलाओं के विवाह, संपत्ति और आर्थिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था।

वर्तमान शिक्षा में लैंगिक स्थिति को केवल "लड़कियाँ विद्यालय जा रही हैं या नहीं" के आधार पर देखना भी पर्याप्त नहीं है। UDISE+ 2021–22 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ड्रॉपआउट दर प्राथमिक स्तर पर लड़कों में 1.6 प्रतिशत और लड़कियों में 1.4 प्रतिशत थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह क्रमशः 2.7 और 3.3

प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 13.0 और 12.3 प्रतिशत थी। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती हैकिलड़कियों की भागीदारी में सुधार के बावजूद **उच्चतर कक्षाओं तक निरंतरता** का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए महिला शिक्षा को केवल नामांकन बढ़ाने के कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि माध्यमिक और उच्चतर स्तरों तक टिकाऊ शैक्षिक अवसर, सुरक्षित वातावरण और सामाजिक समर्थन से जोड़ना आवश्यक है।

वंचित एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा और सामाजिकसमावेशन

आंबेडकर के चिंतन की सबसे प्रत्यक्ष प्रासंगिकता सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा में दिखाई देती है। UDISE+ 2021–22 के आँकड़े इस स्थिति को मात्र वैचारिक नहीं, बल्कि सांख्यिकीय आधार भी प्रदान करते हैं।राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.6 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 12.6 प्रतिशत रही। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए यह क्रमशः 2.8 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत और 16.6 प्रतिशत थी।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अंतर माध्यमिक स्तर पर दिखाई देता है। जहाँ सभी विद्यार्थियों की राष्ट्रीय ड्रॉपआउट दर 12.6 प्रतिशत थी, वहीं ST विद्यार्थियों के लिए यह 16.6 प्रतिशत थी। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल जातीय पहचान ही ड्रॉपआउट का कारण है; बल्कि यह संकेत मिलता है कि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और संस्थागत परिस्थितियाँ कुछ समुदायों के लिए शिक्षा जारी रखना अधिक कठिन बना सकती हैं।इसलिए सामाजिक समावेशन की सफलता को केवल प्रवेश के आँकड़ों से मापना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई समुदाय विद्यालय में प्रवेश तो करता है, लेकिन उच्चतर स्तर पर उसकी निरंतरता कम हो जाती है, तो शिक्षा व्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं की पहचान आवश्यक है।

विद्यालयी सुविधाएँ और समावेशी शिक्षा की वास्तविकता

सामाजिक समावेशन केवल विद्यार्थियों के नामांकन से पूरा नहीं होता। विद्यालय का भौतिक और शैक्षिक वातावरण भी यह तय करता है कि विद्यार्थी कितनी सुरक्षित और गरिमापूर्ण परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर सकता है।UDISE+ 2021–22 के अनुसार 98.22 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल सुविधा तथा 98.71

प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध थी। लड़कियों के शौचालय की उपलब्धता 97.48 प्रतिशत और लड़कों के शौचालय की 96.22 प्रतिशत थी। बिजली की सुविधा 89.34 प्रतिशत विद्यालयों में थी।इन आँकड़ों को केवल उपलब्धि के रूप में पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शौचालय केवल 26.96 प्रतिशत विद्यालयों में और हैंडरेल सहित रैंप लगभग 49.72 प्रतिशत विद्यालयों में थे। इसी प्रकार कंप्यूटर सुविधा 47.51 प्रतिशत और इंटरनेट सुविधा केवल 33.91 प्रतिशत विद्यालयों में थी।

इससे स्पष्ट होता है कि **बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और पूर्णतः समावेशी विद्यालयी वातावरण दो अलग प्रश्न हैं।** पेयजल और सामान्य शौचालय की उपलब्धता में स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों में अभी पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की चर्चा में "विद्यालय उपलब्ध है" से आगे बढ़कर "विद्यालय किसके लिए कितना सुलभ और उपयोगी है" यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

वर्तमान विद्यालयी शिक्षा:पहुँच से निरंतरता तक

UDISE+ 2021–22 आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर GER 103.4 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 94.7 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 79.6 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक स्तर पर 57.6 प्रतिशत था। UDISE+ की आधिकारिक 2021–22 रिपोर्ट इसी वर्ष को अध्ययन का आधार उपलब्ध कराती है। यहाँ 100 प्रतिशत से अधिक GER को "100 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं" के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। GER में संबंधित आयु-समूह से बाहर के विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर अपेक्षाकृत ऊँचा GER और उच्चतर स्तरों पर घटता GER मुख्यतः **शैक्षिक निरंतरता की चुनौती** की ओर संकेत करता है।

इसी बात को ड्रॉपआउट आँकड़े अधिक स्पष्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर कुल ड्रॉपआउट 1.5 प्रतिशत था, उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.0 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 12.6 प्रतिशत। साथ ही, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की ओर जाने वाले छात्रों की संक्रमण दर 93.2 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक की

ओर लगभग 88.8 प्रतिशत थी। इससे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आता है: भारत में शिक्षा की चुनौती अब केवल विद्यालय तक पहुँच की नहीं है, चुनौती यह सुनिश्चित करने की भी है कि विद्यार्थी शिक्षा की पूरी यात्रा में बने रहें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी समस्या को पहचानती है। नीति ने विद्यालय से बाहर बच्चों को वापस शिक्षा में लाने, ड्रॉपआउट कम करने और पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक 100 प्रतिशत GER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, सुरक्षित विद्यालयी आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित शिक्षक, छात्रावास/परिवहन तथा विद्यार्थियों की निगरानी और पुनःप्रवेश जैसी व्यवस्थाओं पर बल दिया गया है।

चर्चा एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक समावेशन संबंधी चिंतन में शिक्षा को सामाजिक समानता, आत्मसम्मान तथा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति को साक्षर बनाना नहीं, बल्कि उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना था (Ambedkar, 1936; Zelliot, 1992)। इस दृष्टि से वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन केवल नामांकन के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा की निरंतरता, समान अवसर और विद्यालयी वातावरण के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

UDISE+2021–22 के आँकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर जीईआर 103.4 प्रतिशत था, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह 79.6 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक स्तर पर 57.6 प्रतिशत रह गया। यह अंतर संकेत करता है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा तक पहुँच बढ़ने के बावजूद उच्चतर स्तरों तक विद्यार्थियों की निरंतर भागीदारी अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इसी प्रकार विद्यालयों में पेयजल, बिजली तथा बालिकाओं के लिए शौचालय जैसी सुविधाओं में प्रगति हुई है, किंतु इनकी सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई थी। विशेष रूप से CWSN शौचालय की सीमित उपलब्धता यह दर्शाती है कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से सुलभ विद्यालयी वातावरण अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था।

इस प्रकार आंबेडकर के विचारों और वर्तमान स्थिति की तुलना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा तक पहुँच में विस्तार हुआ है, लेकिन वास्तविक सामाजिक समावेशन अभी व्यापक लक्ष्य है। नामांकन के साथ-साथ ड्रॉपआउट में कमी, उच्चतर स्तरों तक निरंतरता, लैंगिक एवं सामाजिक समानता, भेदभाव-मुक्त वातावरण तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संदर्भ में NEP 2020 द्वारा सार्वभौमिक पहुँच और समावेशी शिक्षा पर दिया गया बल आंबेडकर के शिक्षा-दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता को और स्पष्ट करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सामाजिक समावेशन एवं शैक्षिक सुधार के प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा में समान पहुँच, निरंतरता और समावेशन को महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है। नीति में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने, ड्रॉपआउट कम करने तथा प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने की दिशा निर्धारित की गई है। साथ ही नीति के अंतर्गत फॉउन्डेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी (एफएलएन) को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य बच्चों में पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय दक्षताओं को विकसित करना है। वर्तमान में इसके अंतर्गत कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है। सामाजिक समावेशन की दृष्टि से एनईपी 2020 केवल नामांकन पर ध्यान नहीं देती, बल्कि विद्यालयी सुविधाओं, बालिकाओं के लिए सुरक्षित आवागमन एवं छात्रावास, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम सुविधाओं तथा विद्यालय से बाहर हो चुके बच्चों को पुनः मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर भी बल देती है। इसके साथ निष्ठा, दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसी पहलें शिक्षकों की क्षमता-वृद्धि और विद्यार्थियों तक विभिन्न माध्यमों से शिक्षा पहुँचाने के प्रयासों से जुड़ी हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव आंबेडकर का सामाजिक समावेशन संबंधी चिंतन शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को परस्पर संबद्ध मानता है। उनके लिए शिक्षा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने तथा आत्मसम्मान एवं अधिकार-चेतना विकसित करने का प्रभावी माध्यम थी।

UDISE+ 2021–22 के आँकड़े बताते हैं कि भारत में शिक्षा तक पहुँच के विस्तार के बावजूद प्राथमिक से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की निरंतरता में कमी दिखाई देती है। साथ ही विद्यालयी सुविधाओं की असमान उपलब्धता भी पूर्ण समावेशी शिक्षा के मार्ग में चुनौती है। अतः वास्तविक सामाजिक समावेशन तभी संभव है जब प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में प्रवेश के साथ-साथ उसे पूरा करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने तथा भेदभाव-मुक्त एवं गरिमापूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इस प्रकार आंबेडकर का शिक्षा-दर्शन वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है।

संदर्भ सूची

1. आंबेडकर, बी. आर. (1936). एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट. नई दिल्ली: नवयाना।
2. आंबेडकर, बी. आर. (1979–2005). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज. खंड 1–17। मुंबई: महाराष्ट्र सरकार।
3. भारत सरकार (1950). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. गैलेंटर, मार्क (1984). कम्पीटिंग इक्वैलिटीज़: लॉ एंड द बैकवर्ड क्लासेज़ इन इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. जैफ़्रेलो, क्रिस्टोफ़ (2005). डॉ. आंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी: फाइटिंग द इंडियन कास्ट सिस्टम. न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. ऑम्वेट, गेल (2004). आंबेडकर: टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया. नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स।

7. ज़ेलियट, एलेनोर (1992). फ्रॉम अनटचेबल टू दलित: एसेज़ ऑन द आंबेडकर मूवमेंट. नई दिल्ली: मनोहर पब्लिकेशन्स।
8. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2022). यूडीआईएसई+ 2021–22: रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस. नई दिल्ली: स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग।
10. यूनेस्को (2020). ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020: इन्क्लूज़न एंड एजुकेशन—ऑल मीन्स ऑल. पेरिस: यूनेस्को।
11. संयुक्त राष्ट्र (2015). ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।